

अपने अधिकार  
जानें। अपनी  
बात रखें।

imha

स्वतंत्र मानसिक  
स्वास्थ्य एडवोकेसी  
(पक्षसमर्थन संस्था)

# क्या आप अनिवार्य उपचार आदेश (COMPULSORY TREATMENT ORDER) पर हैं?

यदि आप अनिवार्य उपचार प्राप्त कर रहे/ही हैं, तो यह एक अकेलेपन वाला और परेशानी भरा अनुभव हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा लगे कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है।

हमारे स्वतंत्र पक्षसमर्थक निम्नलिखित काम कर सकते हैं:

- यह सुन सकते हैं कि आप क्या चाहते/ती हैं और आपके विकल्पों के बारे में आपसे बात कर सकते/ती हैं
- आपके अधिकारों को काम में लाने के लिए आपको जानकारी और समर्थन दे सकते हैं
- आपके साथ काम कर सकते हैं ताकि आप अपनी बात रख सकें
- यदि आपके लिए आवश्यक हो तो आपको अन्य सेवाओं को रेफर कर सकते हैं।

**हमारी सेवाएँ स्वतंत्र, निःशुल्क और गोपनीय हैं।**

यदि आप अनिवार्य उपचार प्राप्त कर रहे/ही हैं तो हम आपसे संपर्क करेंगे, बशर्ते कि आपने हमें ऐसा न करने के लिए कहा हो।

## हमसे संपर्क करें

**1300 947 820 पर फोन करें**

सुबह 9.30 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे के बीच, सप्ताह में सातों दिन

**contact@imha.vic.gov.au पर ई-मेल करें**

**हमारी वेबसाइट [www.imha.vic.gov.au](http://www.imha.vic.gov.au) पर जाएँ**

अपने अधिकारों की निःशुल्क रिकॉर्डिंग सुनने के लिए **1800 959 353 पर फोन करें**

हम आपके लिए एक दुभाषिण की व्यवस्था करेंगे।



[imha.vic.gov.au](http://imha.vic.gov.au)

**imha**

स्वतंत्र मानसिक  
स्वास्थ्य एडवोकेसी  
(पक्षसमर्थन संस्था)

IMHA सुरक्षित और समावेशी पक्षसमर्थन सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है



KYR-IM-ENG-0723